फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत– सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर मुकाम गंगापुर

प्रकाश चंद्र बनाम बद्रीलाल

किस्म मुकदमा:– वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTA नं0 72 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही का इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की आगामी मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/6/2021 | वादी / वादीगण की और से अधिवक्ता श्री [illegible] गोस्वामी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,189 R.T.A. के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 23/08/2021 को पेश हो। | |
| 5/7/2021 | मिसल आज दिनांक 5/7/2021 को वादी एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र पेश करने से लिये से तलब की गई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित। वादी के द्वारा प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जिससे पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रोप कर निस्तारित करवाना फरमावें। मैंने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रा. पत्र पर मनन किया बाद मनन के वादी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र [illegible] R.T.A का कोई कार्यवाही [illegible] चाहने से इसी [illegible] पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। | |

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner